

उत्तराखण्ड शासन
संस्कृत/माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4
संख्या: ५५-२०१०/XXIV-4/2009
देहरादून दिनांक ०२-३-२००९
अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली 2007 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) परिनियमावली 2009

1. (1) इस परिनियमावली का नाम उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) परिनियमावली 2009 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 में स्तम्भ -2 में दी गयी मर्दों के स्थान पर स्तम्भ -03 में उल्लिखित मर्दें एतद्द्वारा रख दी जायेंगी -

(i)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	44 नियम-4 का उपनियम 4.4 (भाग-1) प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (प्रथम) (कक्षा -6 से 8 तक)	प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (प्रथम) (कक्षा-6 से 8 तक)

उक्त संशोधन से उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-1 में उल्लिखित नियम 4 का उपनियम 4.4 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(ii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-2 भर्ती का स्रोत) नियम-6 का उपनियम 8 सहायक अध्यापक (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय-पूर्वमध्यमा/प्रथमा)- सीधी भर्ती	सहायक अध्यापक संस्कृत माध्यमिक व विद्यालय -उत्तर मध्यमा/पूर्व मध्यमा/प्रथमा)-सीधी भर्ती

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-2 में उल्लिखित नियम 6 का उपनियम 8 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(iii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3) गुणवत्ता अंक नियम-7 का उपनियम 7.1 (ii) का बिन्दु 7 एवं 8 (7)प्रबन्ध और प्रशासन का अनुभव-40अंक (04 अंक प्रतिवर्ष) (8) पी0एच0डी0उपाधि - 20 अंक	(7)प्रबन्ध और प्रशासन का अनुभव 30 अंक (03 अंक प्रतिवर्ष) (8)पी0एच0डी0उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक-30

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-3 में उल्लिखित नियम 7 का उपनियम 7.1 (ii) का बिन्दु 7 एवं 8 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(iv)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3 चयन समिति) नियम-7 का उपनियम 7.1 (iii) 1.सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य-सभापति। 2- कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी- सदस्य। 3-प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य।	1.सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य-सभापति। 2- कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी- सदस्य। 3-प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य। 4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-3 में उल्लिखित नियम 7 का उपनियम 7.1 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(v)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3) गुणवत्ता अंक नियम-7 का उपनियम 7.2 (ii) का बिन्दु 7 एवं 8 (7)प्रबन्ध और प्रशासन का अनुभव अधिकतम- 40 अंक (04 अंक प्रतिवर्ष) (8)पी0एच0डी0उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक-10	(7)प्रबन्ध और प्रशासन का अनुभव अधिकतम- 25 अंक (2.5 अंक प्रतिवर्ष) (8)पी0एच0डी0उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक-25

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 7 का उपनियम 7.2 (ii) का बिन्दु 7 एवं 8 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(vi)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3) चयन समिति नियम-7 का उपनियम 7.2 (iii) 1.सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य- सभापति। 2-प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य। 3-जिलाधिकारी द्वारा नामित समूह "क" का एक राजपत्रित अधिकारी	1.सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य- सभापति। 2- निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी -सदस्य। 3- कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी- सदस्य। 4- प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 7 का उपनियम 7.2 (iii) में बिन्दु सं० 3 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(vii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3) गुणवत्ता अंक नियम-7 का उपनियम 7.3 (ii) का बिन्दु- 7 एवं 8 (7)प्रबन्ध और प्रशासन का अनुभव -04 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम- 20 अंक (8) पी0एच0डी0उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक-15	(7)प्रबन्ध और प्रशासन का अनुभव अधिकतम अधिकतम - 15 अंक (2.5 अंक प्रतिवर्ष) (8) पी0एच0डी0उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक-20

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग में उल्लिखित नियम 7 का उप नियम 7.3 (ii) का बिन्दु 7 एवं 8 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(viii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3) चयन समिति नियम-7 का उपनियम 7.3 (iii) 1.-सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य-सभापति। 2.-प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य। 3.-जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य।	1.-सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य-सभापति। 2- निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य। 3- कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी- सदस्य। 4- प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में में उल्लिखित नियम 7 का उपनियम 7.3 (iii) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(ix)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	<p>(भाग-3) गुणवत्ता अंक नियम-7 का उपनियम 7.4 (ii) का बिन्दु - 6 एवं 7</p> <p>6. शास्त्री/आचार्य अथवा माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन अनुभव- 45 (03 अंक प्रतिवर्ष)</p> <p>7. पी०एच०डी०/एम०फिल० उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक- 20</p>	<p>6. शास्त्री/आचार्य अथवा माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन अनुभव गुणवत्ता के अधिकतम अंक - 30 (03 अंक प्रतिवर्ष)</p> <p>7. पी०एच०डी०/एम०फिल० उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता के अधिकतम अंक— 35</p>

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग में उल्लिखित नियम 7 का उपनियम 7.4 (ii) का बिन्दु 6 एवं 7 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(x)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
	<p>(भाग-3) चयन समिति नियम-7 का उपनियम 7.4 का बिन्दु iii</p> <p>1.-सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य-सभापति।</p> <p>2.- सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य।</p> <p>3.-जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य।</p>	<p>1.-सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य-सभापति।</p> <p>2- निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य।</p> <p>3- कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी- सदस्य।</p> <p>4- सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य।</p>

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग में उल्लिखित नियम 7 का उपनियम 7.4 (iii) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xi)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	<p>(भाग-3) गुणवत्ता अंक नियम-7 का उपनियम 7.5 (ii) का बिन्दु 6 एवं 7</p> <p>6.अध्यापन अनुभव अधिकतम अंक- 45 (03 अंक प्रतिवर्ष)</p> <p>7. पी०एच०डी०/एम०फिल० उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक- 10</p>	<p>6.अध्यापन अनुभव अधिकतम अंक- 20 (02 अंक प्रतिवर्ष)</p> <p>7. पी०एच०डी०/एम०फिल० उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता के अधिकतम अंक- 25</p>

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग में उल्लिखित नियम 7 का उपनियम 7.5 (ii) का बिन्दु 6 एवं 7 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	<p>(भाग-3) चयन समिति नियम-7 का उपनियम 7.5 (iii)</p> <p>1.-सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य-सभापति।</p> <p>2.-सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य।</p> <p>3.-जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य।</p>	<p>1.-सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य-सभापति।</p> <p>2- निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य।</p> <p>3- कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी- सदस्य।</p> <p>4- सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य।</p>

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 7 का उपनियम 7.5 (iii) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xiii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3) शैक्षिक योग्यता नियम-7 का उपनियम 7.6 का बिन्दु (i) (एक) सम्बद्ध विषय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि; (उच्च द्वितीय श्रेणी में उपाधि का अर्थ सुसंगत उपाधि में न्यूनतम 55 % प्राप्तांक से है और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 % प्राप्तांक से है।)	7.6 (i) (एक) सम्बद्ध विषय में कम से कम स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत प्राप्तांक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांक।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग में उल्लिखित नियम 7 का उपनियम 7.6 (i) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xiv)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3) चयन समिति नियम-7 का उपनियम 7.6 (iii) 1.-सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य-सभापति। 2.-सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य। 3.-जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य।	1.-सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य-सभापति। 2- निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य। 3- कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी- सदस्य। 4- सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य-सदस्य।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग में उल्लिखित नियम 7 का उपनियम 7.6 (iii) का बिन्दु 3 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	<p>(भाग-3 चयन प्रक्रिया) नियम-8 का उपनियम 8.3 का बिन्दु (क)</p> <p>(क) प्रबन्धतंत्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आरक्षित वर्ग की रिक्तियों सहित अवधारित कर लिए जाने तथा मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा से विज्ञापन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचलन हो, पद विज्ञापित किये जायेंगे। समाचार-पत्रों की सूची मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित की जायेगी। विज्ञापन में रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् स्थायी है या अस्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात् प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य या प्रवक्ता या सहायक प्रवक्ता या सहायक अध्यापक तथा ऐसा या ऐसे विषय जिसमें या जिनमें अध्यापक की आवश्यकता हो) वेतन और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव पद के लिए विहित न्यूनतम, आरक्षण आदि के सम्बन्ध में विवरण दिए गए हों और अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से तीन सप्ताह से कम न होना चाहिए) विहित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्णतया भरे गए आवेदन-पत्र केवल पंजीकृत डाक से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।</p>	<p>(क) प्रबन्धतंत्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आरक्षित वर्ग की रिक्तियों सहित अवधारित कर लिए जाने तथा निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय से विज्ञापन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचलन हो, पद विज्ञापित किये जायेंगे। समाचार-पत्रों की सूची निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय, की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित की जायेगी। विज्ञापन में रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् स्थायी है या अस्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात् प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य या प्रवक्ता या सहायक प्रवक्ता या सहायक अध्यापक तथा ऐसा या ऐसे विषय जिसमें या जिनमें अध्यापक की आवश्यकता हो) वेतन और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव पद के लिए विहित न्यूनतम, आरक्षण आदि के सम्बन्ध में विवरण दिए गए हों और अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से तीन सप्ताह से कम न होना चाहिए) विहित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्णतया भरे गए आवेदन-पत्र केवल पंजीकृत डाक से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।</p>

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग -3 उल्लिखित नियम 8 का उपनियम 8.3 (क) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xvi)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3 चयन प्रक्रिया) नियम-8 का उपनियम 8.3 का बिन्दु (ग) (ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र को, जो संस्था में नियोजित हो और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन कर रहा हो, नियोजक द्वारा सम्बन्धित मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, को भेज दिया जायेगा।	(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र को, जो संस्था में नियोजित हो और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन कर रहा हो, नियोजक द्वारा सम्बन्धित निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय को भेज दिया जायेगा।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 8 का उपनियम 8.3 (ग) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xvii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3 चयन प्रक्रिया) नियम-8 का उपनियम 8.3 (घ) (घ) प्राप्त किए गए आवेदन-पत्र मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, के कार्यालय के रजिस्टर में क्रमानुसार संख्यांकित और प्रविष्ट किए जायेंगे और उनकी सन्निरीक्षा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण-विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भों के अन्तर्गत दर्ज किए जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी के गुण-विषयक अंक अभिकथित मानदण्ड के अन्तर्गत अधिमानतया मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए कार्यरत शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों या प्रधानाचार्यों द्वारा दिये जायेंगे और इसकी जाँच मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, के कार्यालय या उसके द्वारा विभाग के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन आवेदन पत्रों को विज्ञापन के आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए विज्ञापित अंतिम दिनांक से पाँच दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध तंत्र द्वारा तीन दिन के भीतर निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा। ऐसा न करने पर निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय आवेदन पत्रों को सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक को भिजवा देगा। प्रबन्धतंत्र भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा तथा उसमें अभ्यर्थियों के गुण विषयक प्राप्तांकों का विवरण अंकित करायेगा।	(घ) प्राप्त किए गए आवेदन-पत्र संस्कृत शिक्षा, निदेशालय के कार्यालय के रजिस्टर में क्रमानुसार संख्यांकित और प्रविष्ट किए जायेंगे और उनकी सन्निरीक्षा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण-विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भों के अन्तर्गत दर्ज किए जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी के गुण-विषयक अंक अभिकथित मानदण्ड के अन्तर्गत अधिमानतया निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए कार्यरत शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों या प्रधानाचार्यों द्वारा दिये जायेंगे और इसकी जाँच निदेशक, संस्कृत निदेशालय के कार्यालय या उसके द्वारा विभाग के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन आवेदन पत्रों को विज्ञापन के आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए विज्ञापित अंतिम दिनांक से पाँच दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध तंत्र द्वारा तीन दिन के भीतर निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा। ऐसा न करने पर निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय आवेदन पत्रों को सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक को भिजवा देगा। प्रबन्धतंत्र भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा तथा उसमें अभ्यर्थियों के गुण विषयक प्राप्तांकों का विवरण अंकित करायेगा।

की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध तंत्र द्वारा तीन दिन के भीतर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा। ऐसा न करने पर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, आवेदन पत्रों को सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक को भिजवा देगा। प्रबन्धतंत्र भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा तथा उसमें अभ्यर्थियों के गुण विषयक प्राप्तांकों का विवरण अंकित करायेगा।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 8 का उपनियम 8.3 (घ) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xviii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	<p>(भाग-3 चयन प्रक्रिया) नियम-8 का उपनियम 8.3 का बिन्दु (छ)</p> <p>(छ) चयन समिति द्वारा चयन गुण-विषयक अंकों के आधार पर किया जायेगा। किसी पद के लिए सभी अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण-पत्रों की जाँच तथा गुणांक का सत्यापन कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति या तो स्वयं उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए चयन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक कार्यवृत्त दो प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें चयनित किये गये अभ्यर्थी के नाम के साथ योग्यता क्रम में तैयार की गयी सूची तथा प्रतीक्षा सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम दिए जायेंगे। इस प्रकार तैयार की गई टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जिसमें उनका पूरा नाम, पदनाम, और दिनांक दिया जायेगा। इस कार्यवृत्त की प्रति सम्बन्धित मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, को भेजी जायेगी।</p>	<p>(छ) चयन समिति द्वारा चयन गुण-विषयक अंकों के आधार पर किया जायेगा। किसी पद के लिए सभी अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण-पत्रों की जाँच तथा गुणांक का सत्यापन कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति या तो स्वयं उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए चयन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक कार्यवृत्त दो प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें चयनित किये गये अभ्यर्थी के नाम के साथ योग्यता क्रम में तैयार की गयी सूची तथा प्रतीक्षा सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम दिए जायेंगे। इस प्रकार तैयार की गई टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जिसमें उनका पूरा नाम, पदनाम, और दिनांक दिया जायेगा। इस कार्यवृत्त की प्रति सम्बन्धित निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय को भेजी जायेगी।</p>

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 8 का उपनियम 8.3 (छ) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xix)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	<p>(भाग-3 चयन प्रक्रिया) नियम-8 का उपनियम 8.4 का बिन्दु (1)</p> <p>(1) किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक के चयन में उपस्थित सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे चयन से संबंधित सभी कागज-पत्रों की छान-बीन करें और विशेष रूप से यह परीक्षण करें कि किसी अभ्यर्थी को ऐसे अवसर से वंचित तो नहीं रखा गया जो उसे उचित रीति से मिलना चाहिए था। वे परिशिष्ट 'क' में विवरण में यथा प्रस्तावित चयन की कार्यवाहियों में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देंगे। यदि वे यह अनुभव करें कि किसी अभ्यर्थी को किसी त्रुटि या चूक के फलस्वरूप विधि संगत अवसर से वंचित रखा गया है तो वे मामले के पूरे ब्योरे के साथ मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को सूचित करेंगे। यदि मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक का यह समाधान हो जाय कि इससे चयन की कार्यवाहियां दूषित हो गयी हैं तो वह चयन की कार्यवाहियों को अकृत और शून्य घोषित कर देगा और ऐसे मामलों में फिर से चयन करने के लिए आदेश देगा। इस संबंध में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के आदेश अन्तिम और सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए आबद्धकर होंगे।</p>	<p>(1) किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक के चयन में उपस्थित सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे चयन से संबंधित सभी कागज-पत्रों की छान-बीन करें और विशेष रूप से यह परीक्षण करें कि किसी अभ्यर्थी को ऐसे अवसर से वंचित तो नहीं रखा गया जो उसे उचित रीति से मिलना चाहिए था। वे परिशिष्ट 'क' में विवरण में यथा प्रस्तावित चयन की कार्यवाहियों में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देंगे। यदि वे यह अनुभव करें कि किसी अभ्यर्थी को किसी त्रुटि या चूक के फलस्वरूप विधि संगत अवसर से वंचित रखा गया है तो वे मामले के पूरे ब्योरे के साथ निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय को सूचित करेंगे। यदि निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय का यह समाधान हो जाय कि इससे चयन की कार्यवाहियां दूषित हो गयी हैं तो वह चयन की कार्यवाहियों को अकृत और शून्य घोषित कर देगा और ऐसे मामलों में फिर से चयन करने के लिए आदेश देगा। इस संबंध में निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय के आदेश अन्तिम और सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए आबद्धकर होंगे।</p>

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 8 का उपनियम 8.4 (1) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xx)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3 चयन प्रक्रिया) नियम-8 का उपनियम 8.4 का बिन्दु (2) (2) चयन से संबंधित सभी आवेदन-पत्र, कागज पत्र और रजिस्टर प्रबन्धतन्त्र द्वारा उतनी अवधि तक सुरक्षित रखे जायेंगे जैसा कि विहित की जाये और मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को, जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रस्तुत किए जायेंगे।	(2) चयन से संबंधित सभी आवेदन-पत्र, कागज पत्र और रजिस्टर प्रबन्धतन्त्र द्वारा उतनी अवधि तक सुरक्षित रखे जायेंगे जैसा कि विहित की जाये और निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय को, जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रस्तुत किए जायेंगे।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 8 का उपनियम 8.4 (2) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xxi)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3 चयन प्रक्रिया) नियम-8 का उपनियम 8.7 का बिन्दु (1) (1) चयन समिति की सिफारिश और सम्बन्धित मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक का अनुमोदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ख' में दिए गए प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी। कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।	(1) चयन समिति की सिफारिश और सम्बन्धित निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय का अनुमोदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ख' में दिए गए प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी। कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग में उल्लिखित नियम 8 का उपनियम 8.7 (1) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xxii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3 चयन प्रक्रिया) नियम-8 का उपनियम 8.7 का बिन्दु (2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश की एक प्रति मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी।	(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश की एक प्रति निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय को भेजी जायेगी।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 8 का उपनियम 8.7 (2) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xxiii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3 पदोन्नति) नियम-9 का उपनियम 9.1 का बिन्दु 1(ख) (ख) ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति संबंधित प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का प्रस्ताव मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत करेगी।	(ख) ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति संबंधित प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का प्रस्ताव निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत करेगी।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 9 का उपनियम 9.1 का बिन्दु 1 (ख) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xiv)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3 पदोन्नति) नियम-9 का उपनियम 9.1 (घ) (घ) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ऐसे प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय उसकी प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ने ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।	(घ) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय ऐसे प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय उसकी प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय ने ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 9 का उपनियम 9.1 का बिन्दु 1 (घ) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xv)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3 पदोन्नति) नियम-9 का उपनियम 9.1 का बिन्दु (1) (ड.) (ड) उपखण्ड (घ) के अधीन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक का विनिश्चय प्रबन्ध समिति को और संबंधित प्रधानाध्यापक को भी संसूचित किया जायेगा।	(ड) उपखण्ड (घ) के अधीन निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय का विनिश्चय प्रबन्ध समिति को और संबंधित प्रधानाध्यापक को भी संसूचित किया जायेगा।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 9 का उपनियम 9.1 का बिन्दु (1) (ड) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xvi)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3 पदोन्नति) नियम-9 का उपनियम 9.1 का बिन्दु (1) (च) (च) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति भी है, उप खण्ड (ड) के अधीन आदेश के संसूचित किए जाने के दिनांक से दस दिन के भीतर उसके विरुद्ध निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।	(च) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति भी है, उप खण्ड (ड) के अधीन आदेश के संसूचित किए जाने के दिनांक से दस दिन के भीतर उसके विरुद्ध निदेशक, संस्कृत शिक्षा को अभ्यावेदन कर सकता है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 9 का उपनियम 9.1 का बिन्दु (1) (च) उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xvii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	<p>(भाग-3 पदोन्नति) नियम-9 का उपनियम 9. 2 (ii) का बिन्दु 4</p> <p>4. किसी ऐसे अध्यापक के संबंध में जिसका इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन किया गया है, संस्था का प्रबन्धक ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक की सहमति के लिए प्रस्ताव के साथ ऐसे संकल्प की एक प्रति और एक विवरण-पत्र भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे :-</p>	<p>4. किसी ऐसे अध्यापक के संबंध में जिसका इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन किया गया है, संस्था का प्रबन्धक ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय की सहमति के लिए प्रस्ताव के साथ ऐसे संकल्प की एक प्रति और एक विवरण-पत्र भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे :-</p>

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03में उल्लिखित नियम 9 का उपनियम 9.2 का बिन्दु 4 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xviii)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	<p>भाग-3 पदोन्नति) नियम-9 का उपनियम 9. 2 (ii) का बिन्दु 5</p> <p>5. उपरोक्त खण्ड (4) के अधीन प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक उस पर अपना विनिश्चय प्रबन्धक को संसूचित करेगा। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ने प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प पर अपनी सहमति दे दी है।</p>	<p>5. उपरोक्त खण्ड (4) के अधीन प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय उस पर अपना विनिश्चय प्रबन्धक को संसूचित करेगा। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय ने प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प पर अपनी सहमति दे दी है।</p>

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 9 का उपनियम 9.2 का बिन्दु 5 उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xix)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	(भाग-3 पदोन्नति) नियम-9 का उपनियम 9. 2 (ii) का बिन्दु 6 6. जहाँ प्रबन्ध समिति उपरोक्त खण्ड (7) के अधीन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के विनिश्चय से व्यथित हो, वहाँ वह प्रबन्धक को ऐसे विनिश्चय की संसूचना दिए जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर, उसके विरुद्ध निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को अभ्यावेदन कर सकती है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।	6. जहाँ प्रबन्ध समिति उपरोक्त खण्ड (7) के अधीन संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निदेशालय के विनिश्चय से व्यथित हो, वहाँ वह प्रबन्धक को ऐसे विनिश्चय की संसूचना दिए जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर, उसके विरुद्ध निदेशक, संस्कृत शिक्षा को अभ्यावेदन कर सकती है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित नियम 9 का उपनियम 9. 2 (ii) का बिन्दु 6 का उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेगा।

(xxx)

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
01	परिशिष्ट "ख" संस्था के अध्यापक/प्रधान की नियुक्ति प्रारूप पर प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा अधिकारी....., मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक..को अग्रसारित। परिशिष्ट "ग" अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप में संस्था के अभिलेखों से सत्यापित हेतु हस्ताक्षर.....मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक.....	संस्था के अध्यापक/प्रधान की नियुक्ति प्रारूप पर प्रतिलिपि:- निदेशालय/जनपदीय सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा,....., निदेशक, संस्कृत शिक्षा, संस्कृत निदेशालयको सूचनार्थ अग्रसारित। अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप में संस्था के अभिलेखों से सत्यापित हेतु हस्ताक्षर..... निदेशक, संस्कृत शिक्षा, संस्कृत निदेशालय उत्तराखण्ड.....

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली-2007 के भाग-03 में उल्लिखित परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग' उपरोक्तानुसार संशोधित हो जायेंगे।

3. नियम-14 संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों/अध्यापकों के मृतक आश्रितों को उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग के सामान्य शिक्षा के विद्यालयों की भांति शासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले आदेशों के अनुसार लाभ प्रदान किया जायेगा।


(प्रभात कुमार सस्तीगी)
सचिव।

संख्या प.स.ह.प्र.१/XXIV-4/2008 तददिनांक।
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, विद्यालयी/संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
9. कुलपति, हे० न० बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
10. कुलपति, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
11. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
14. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित की वै कृपया उक्त आदेश को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-04 के खण्ड 'ख' में मुद्रित कराने तथा इसकी तीन सौ प्रतियाँ शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबद्धम)

अपर सचिव। ०२/३